न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 528 दिनांक 07/03/2022

प्रार्थीगण :-
1.झमकूदेवी पत्नि किशनाराम 2.निरमादेवी पत्नि भजनलाल 3.रूचिका पत्नि श्रीराम 4. पदमाबाई पत्नि मोहनलाल, जातियान विश्नोई, निवासी केरनाडा तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.भोमाराम पुत्र खरथाराम 2.भागचन्द 3.सदराम पि.पोकर 4.लाधू पुत्र रूपा 5.मांगी पत्नि भागचन्द जातियान विश्नोई 6.नेनूराम पुत्र खेताराम, जाति मेघवाल 7.अमराराम 8.हेमाराम पि.किशनाराम 9.जालमा 10.आसूराम पि.पूराराम 11.पेमाराम पुत्र रूपाराम 12.चिमाराम पुत्र भिंयाराम, जातियान जाट, निवासी केरनाडा, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 27/2019 दिनांक : **04.03.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा सं. 409 रकबा 26.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी गाँव चौहटन एवं उपरला की शरहद पर होने के कारण उपरोक्त गाँवों के सम्बन्धित पटवारियों को रेकर्ड सहित नेखमबंदी के दौरान मौके पर उपस्थित होने के लिये पाबन्द करे|

उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 529 to 532 दिनांक 07/03/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण झमकूदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण भोमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:11:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन